न्<u>यायालय: — संतोष कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्र0क0 - 414/04</u> संस्थित दिनांक - 13.09.2004

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

---- अभियोजन

वि रू द्व

- रामसिंह पुत्र हजारी आदिवासी, आयु–20 वर्ष, पता–ग्राम जलालपुर, थाना चन्देरी,
- 2. वीरेन्द्र पुत्र हन्नू आदिवासी, आयु—30 वर्ष, पता—ग्राम शंकरपुर, थाना चन्देरी, जिला — अशोकनगर म0प्र0(फरार)

---- अभियुक्तगण

—:: <u>नि र्ण य</u> ::— <u>(आज दिनांक 22.12.2014 को घोषित)</u>

- 1. आरोपीगण के विरूद्ध धारा 34(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है कि, दिनांक 16.04.2004 को शाम के लगभग 5:00 बजे ग्राम जलालपुर में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 12 क्वार्टर वीरेन्द्र सिंह के आधिपत्य में एवं 10 क्वार्टर रामसिंह के आधिपत्य में देशी मदिरा रखे हुये पाये।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि, आरोपी वीरेन्द्र **पूर्व से फरार** है।
- 3. अभियोजन कहानी संक्षेप मे यह है कि, हुकुमसिंह यादव, थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत होकर दिनांक 16.04.2004 को मय हमराही फोर्स के ईलाका गश्त करते ग्राम जलालपुर पहुंचा तो आम रास्ते पर रामसिंह पुत्र हजारी आदिवासी 10 सफेद क्वार्टर, वीरेन्द्र पुत्र हन्तू आदिवासी 12 क्वार्टर लिये मिले। इन मदिरा के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगी तो न होना बताया तब आरोपीगणों का धारा 34(क) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से क्वार्टर पंचान के समक्ष जप्त कर कब्जे पुलिस लिये

गये व अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर थाना लाये एवं आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 155/04 धारा 34(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. आरोपी को धारा 34(क) आबकारी अधिनिमय के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप पढ़कर सुनाए समझाए जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया विचारण चाहा। धारा 313 द0प्र0सं० के अंतर्गत आरोपी का परीक्षण किये जाने पर उन्होंने निर्दोष होना व झूटा फंसाया जाना अभिकथित किया है एवं बचाव मे कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न है कि :-

क्या आरोपी ने दिनांक 16.04.2004 को शाम के लगभग 5:00 बजे ग्राम जलालपुर में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 10 क्वार्टर रामसिंह के आधिपत्य में देशी मदिरा रखे हुये पाये ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से इस विषय में मुन्नीलाल (अ.सा.—1), विजन्दर सिंह (अ.सा.—2), हुकुमसिंह यादव (अ.सा.—3) के कथन लेखबद्ध करवाये है।
- 7. साक्षी एच.एस यादव (अ.सा.—3) का कहना है कि, वह दिनांक 16.04.2004 को थाना चन्देरी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दौराने गस्त ईलाका ग्राम जलालपुर के रास्ते पर आरोपी विजेन्द्र के कब्जे से अवैध देशी शराब 12 क्वार्टर एवं आरोपी रामसिंह के कब्जे से 10 देशी क्वार्टर साक्षीगण मुन्नीलाल एवं विजन्दर सिंह यादव के समक्ष जप्त किये गये थे। आरोपी विजेन्द्र सिंह के कब्जे से जप्त 12 क्वार्टर का जप्ती पंचनामा प्र0पी0—1 मेरे द्वारा मौके पर बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपी रामसिंह के कब्जे से जप्ती पंचनामा प्र0पी0—2 बनाया गया था जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसके द्वारा मौके पर आरोपी रामसिंह का गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0—3 बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके

हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मौके पर साक्षी विजन्दर सिंह, मुन्नीलाल के कथन उनके बतायेनुसार लेखबद्ध किये थे तथा थाना वापसी पर गिरफ्तारशुदा उक्त दोनों आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 155/04 आबकारी एक्ट की लेख की गई थी जो प्र0पी0–5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 8. साक्षी मुन्नीलाल (अ.सा.—1) एवं विजन्दर सिंह (अ.सा.—2) ने उक्त अभिकथित जप्ती पत्रक प्र0पी0—2 एवं गिरफतारी पत्रक प्र0पी0—3 का समर्थन नहीं किया है एवं न ही जप्ती एवं गिरफतारी के संबंध में अभियोजन कहानी का कोई समर्थन किये है इसलिये इन साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है। उक्त दोनों साक्षियों ने अपने पुलिस कथन से भी तात्विक विरोधाभाषी कथन किया है।
- 9. जहां तक जप्तीकर्ता एवं विवेचक एच.एस.यादव (अ.सा.—3) की साक्ष्य का प्रश्न है इस साक्षी ने अपने कथन में यह बताया है कि, आरोपी रामिसंह के आधिपत्य से 10 देशी क्वार्टर जप्त किया था किंतु उक्त साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि, उसने अलग से जप्तशुदा शराब को सीलबंद किया था एवं न ही जप्ती पत्र पर सील का नमूना का उल्लेख किया है। इस प्रकार से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट है कि, अभिकथित जप्तशुदा शराब एवं सेंपल को मौके पर सील नहीं किया गया इसके अतिरिक्त विवेचक का यह कहना है कि, वह इलाका भ्रमण के लिये रवाना हुआ था किंतु रवानगी एवं वापसी का कोई सान्हा उसके द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है एवं न ही मौका नक्शा बनाया गया है, ऐसी स्थिति में यह संदिग्ध हो जाता है कि, आरोपी के कब्जे से 10 देशी क्वार्टर शराब जप्त हुई हैं।
- 10. अतः अभियोजन साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि, मौके से जो दृव्य बरामद हुआ वह शराब थी और न ही यह साबित होता है कि, आरोपी के आधिपत्य से 10 क्वार्टर देशी शराब जप्त हुई थी। अतः अभियोजन अपनी साक्ष्य द्वारा युक्युक्त संदेह से परे यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि, आरोपी के कब्जे से 10 क्वार्टर देशी शराब जप्त हुई थी।
- 11. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आरोपी को धारा 34 (क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय आरोप साबित नहीं है, फलतः

आरोपी को उक्त धारा के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. प्रकरण में जप्तशुदा शराब अपील अवधि बाद नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

''मेरे बोलने पर टंकित''।

संतोष कुमार कोल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी, जिला अशोकनगर संतोष कुमार कोल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी, जिला अशोकनगर